



जमाबन्दी (खेवट/खतोनी) (प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (बी)
(देखिये नियम 153 ए)

ग्राम का नाम :- सुन्दरवास
पटवार हल्का :- मादडीपुरोहितान
भू.अभि.नि. :- शहर
तहसील :- गिर्वा
जिला :- उदयपुर

सम्बत :- 2065 - 2068
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 69
खाता संख्या पुराना :- 70

काश्तकार का नाम:-

मे.धरती धन प्रा.लि.कं.बम्बई हाल स्टेशन उदयपुर खातेदार

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
302	0.0950	भूरी 0.0950	0.6600	चा.नं.301		
303	0.0300	भूरी 0.0300	0.2100	चा.नं.301		
कुल खसरे - 2	0.1250	0.1250	0.87			

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।

नकल जारी करने की तिथि :- 31-Jul-2025



(केवल नकल के उपयोग के लिए)

जमाबन्दी (खतौनी) ग्राम मुन्दवास पटवार क्षेत्र मादडी पुरोहिताभू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र शहर तहसील गिर्वा जिला उदयपुर राजस्थान सम्वत् 20 74 से 2027

खेवट खतौनी सं.		भू-धारकों के नाम	काश्तकार का नाम मय पिता का नाम जाति तथा निवास स्थान के पते सहित एवं भू-वृत्ति का स्वरूप	अंशिक नकल		वर्गीकरण	क्षेत्र	कृषक द्वारा		संवत् के		संवत् के लिए		संवत् के लिए		टिप्पणिया
नई	पुरानी			खसरा संख्या	क्षेत्रफल			दर सहित ब्यौरा	रकम	अंतरण के प्रकार सहित अनु प्रमाणित नामांतरण के आदेश की संख्या एवं तारीख	भूमि के ब्यौरा सहित अंतरण की विशिष्टियां जिसके पक्ष में भूमि अंतरित की गई है।	अंतरण के प्रकार सहित अनु प्रमाणित नामांतरण के आदेश की संख्या एवं तारीख	भूमि के ब्यौरा सहित अंतरण की विशिष्टियां जिसके पक्ष में भूमि अंतरित की गई है।	अंतरण के प्रकार सहित अनु प्रमाणित नामांतरण के आदेश की संख्या एवं तारीख	भूमि के ब्यौरा सहित अंतरण की विशिष्टियां जिसके पक्ष में भूमि अंतरित की गई है।	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
77	73	राजा सरकार	मे. शरती धन जालि. के. बम्बाई हाल स्टेशन उदयपुर आबादी उद्योग लोप स्टेशन फेवरी हेतु दिस्मा-पूर्ण	298	0.0600	भूरी			0.42							
				299	0.0500	-	या.न		0.02							
				300	0.0900	भू.का.की	301		0.02							
						0.0200	-		0.02							
						भूरी	-		0.49							
						0.0700	-									
				301	0.0250	रबड़ा			—							
			कुल योग :-	04	0.2350	—	—		0.95							

सत्य धर्मिणी

P-35

15

सत्य धर्मिणी

राजस्थान

पटवारी

मादडी पुरोहिताभू

गिर्वा. जि. उदयपुर





उदयपुर विकास प्राधिकरण (यूडीए) राजस्थान सरकार

क्रमांक: LU2012/UDP/2025-26/103789

दिनांक: 09/06/2025

विषय: — राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90—क के अधीन कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने।

आदेश

मामले के संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार है :

श्री M/S DHARTI DHAN PVT LTD TH AUTH OM PRAKASH SAINI पुत्र श्री G L SAINI जाति SAINI निवासी MUMBAI AT PRESENT UDAIPUR REGISTERED OFFICE GOLACHA GARDEN] AGRA ROAD] JAIPUR

1. ऊपर नामित आवेदक ने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90—क के अधीन भूमि का आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु अनुज्ञा देने के लिए आवेदन किया है :

क्र.सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेंदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	सुन्दरवास, गिर्वा (उदयपुर)	M/S DHARTI DHAN PVT LTD TH AUTH OM PRAKASH SAINI	298, 299, 300 AND 301	2250	0.225
कुल					0.225

2. आवेदक ने आवेदन के साथ नवीनतम प्रमाणित जमाबंदी की प्रति, राजस्व खसरा अनुरेख, सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित क्षतिपूर्ति बंधपत्र और शपथपत्र, की —मैप, अभिन्यास योजना, सर्वेक्षण नक्शा और अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं।

3. यह कि मैंने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन और दस्तावेजों/कथनों का परीक्षण कर लिया है। मैंने संबंधित तहसीलदार की रिपोर्ट और स्थानीय प्राधिकारी की सहमति रिपोर्ट का परीक्षण कर लिया है। मेरी यह राय है कि आवेदित भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए वांछित उपयोग मास्टर योजना/विकास योजना/स्कीम के अनुरूप है और आवेदक के आवेदन को, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90—क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 को तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार ऐसी भूमि पर अभिधृति अधिकार निर्वापित करके भूमि का आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु अनुज्ञा प्रदान करने के लिए स्वीकार किया जा सकता है।

4. अतः अब इसके द्वारा आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त भूमि पर आवेदक के अभिधृति अधिकारों को उक्त भूमि का आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु निर्वापित किया जावेगा और इस आदेश की तारीख से उक्त भूमि को, उक्त भूमि का आवेदक/आवेदक द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों को, उक्त स्थानीय प्राधिकारी द्वारा लागू विधि, नियमों, विनियमों या उप-विधि के अनुसार आवंटन के लिए स्थानीय प्राधिकारी के व्ययनाधीन रखा गया समझा जायेगा।

5. आवेदक द्वारा उस भूमि को, जिसके लिए यह अनुज्ञा दी गयी है, यथाविहित प्रीमियम, नगरीय निर्धारण के साथ ही विनिर्दिष्ट अन्य प्रभारों के निक्षेप और सुसंगति विधि के अधीन अभिन्यास योजना के अनुमोदन के पश्चात, स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सम्यक् आवंटन किये जाने के पश्चात ही गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग में लिया जावेगा।

6. इन विनियमों के अधीन विहित और स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सुसंगत विधि के अनुसार अधिरोपित निबंधनों और शर्तों की आवेदक द्वारा पालना की जावेगी।

यह आदेश अधोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 09-06-2025 को पारित किया गया है।

प्राधिकृत अधिकारी
उदयपुर विकास प्राधिकरण (यूडीए)



Signature valid

Digitally Signed by JITEMDRA.OZHA11
Designation : DC/ AO
Date: 2025.06.09 19:20:43 IST
Reason: Approved
Location: Rajasthan, IN



कार्यालय नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर (राज.)

क्रमांक : F.11()RegIn-II /सुन्दरवास/ P.No.1 /2010/ 1526

Date : 10/7/11

आवंटन - पत्र

प्रेषित :

मेसर्स धरतीधन प्रा.लि. कम्पनी
बम्बई हाल स्टेशन, उदयपुर (राज)

विषय : राजस्व ग्राम सुन्दरवास के खसरा संख्या 302, 303 भूखण्ड संख्या 01 क्षेत्रफल 1494.44 (वर्गगज) के आवंटन/ नियमन के संबंध में।

उपरोक्त विषय में लेख है कि राज्य सरकार के अधिसूचना दिनांक 17-6-99 एवं उस अनुसरण में जारी आदेश दिनांक 10-7-99, 4-12-99, 22-12-99, 9-3-2000 एवं 26-5-2000 के अनुसार आप द्वारा कृषि भूमि का आवासीय प्रयोजन के लिये उपयोग कर इस प्रयोजन हेतु रूपान्तरण / नियमन हेतु आवेदन किये जाने पर विषयांकित कृषि भूमि प्राधिकृत अधिकारी (सचिव) नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर के प्रकरण संख्या 89/2011 आदेश संख्या 124-125 में पारित आदेश दिनांक 21-02-2011 से राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-बी के अनुरूप राज्य सरकार के पक्ष में पुनर्ग्रहित घोषित की जा चुकी है। इस पुनर्ग्रहण आदेश से यह भूमि स्वतः नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर में निहित हो गई है।

अतः विषयांकित भूखण्ड संख्या 01 जिसका क्षेत्रफल 13450.0 वर्गफीट = 1494.44 वर्गगज उक्त अधिसूचना एवं जारी आदेशों की पालना में आपको 99 वर्ष की लीज होल्ड आधारों पर शहरी भूमि निस्तारण नियम, 1974 एवं उसमें समय समय पर किये जाने वाले संशोधनों, राज्य सरकार / नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा जारी आदेशों एवं निर्देशों के अधधीन आवंटित / नियमित की जाती है। आपको निम्नांकित प्रकार से राशि नगर विकास प्रन्यास के कोष में इस आवंटन पत्र के 30 दिनों के अन्दर - अन्दर जमा करानी है:-

- | | |
|---|--------------|
| 1. भूमि रूपान्तरण/ नियमन की राशि प्रथम जोन | |
| 80/- रु. प्रति वर्गगज की दर से 1494.44 वर्गगज की | 119556/- रु. |
| 2. एकबारीय लीज राशि एक साथ 8 वर्ष की ली. राशि | 95645/- रु. |
| 3. इकरार पत्र के माध्यम अन्तरण होने से 25/-रु. प्रति वर्गगज की दर से | - |
| 4. बाहरी विकास शुल्क 50/- रु. प्रति वर्ग मीटर की दर से(सम्पूर्ण क्षेत्रफल पर) | 104238/- रु. |
| 5. राजकीय भूमि वर्ग फिट | - |
| 6. कम्पाउडिंग चार्जेज 2 रु. प्रति वर्गफीट की दर से वर्गफीट का | - |
| 7. प्रकाशन व अन्य शुल्क यदि कोई हो | 300/- रु. |
| 8. साईट प्लान एवं डिमारकेशन शुल्क | 1000/- रु. |

(अ) कुल जमा योग्य राशि (1 - 8 तक)

320739/-रु.

- | | |
|--|--------|
| 9. पूर्व में जमा राशि न्यास चालान नं. दिनांक (-) |- |
| 10. भू. कार्यालय में जमा राशि का चालान नं. .. दिनांक . पेनाल्टी (-) |- |
| 11. दिनांक 31-3-2000 तक राशि रु. जमा कराने से 5 प्रतिशत छूट (-) |- |

(ब) कुल जमा (9 - 11 तक)

शुद्ध जमा योग्य राशि (अ - ब) 320739/- रु.

3985
चालान संख्या
दिनांक 10.3.2011 को
आरो किया गया

आवंटन पत्र की सामान्य शर्तें एवं बाध्यताएं निम्न प्रकार हैं :-

- 1- उपरोक्त राशि आपको इस सूचना पत्र की प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर - अन्दर जमा करानी है। इस अवधि के पश्चात् शहरी भूमि निस्तारण नियमों के अनुसार ब्याज पेनाल्टी एवं निरस्तीकरण से संबंधित कार्यवाही की जायेगी।
- 2- यदि आवंटित/समर्पित एवं पुनर्ग्रहित भूमि के स्वामित्व एवं आधिपत्य से संबंधित यदि कोई विवाद उत्पन्न हुआ तो उसका संपूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा। भूमि यदि किसी कारणवश या स्वामित्व के अभाव या आपके स्वामित्व के दोष के कारण आपके हाथों से निकल जायेगी तो यह आवंटन स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा और भूमि एवं उस पर निर्माण, यदि कोई है, उसे न्यास तत्काल अपने आधिपत्य में बिना मुआवजा दिये, लेने को अधिकृत होगा। साथ ही आवंटित भूमि के अतिरिक्त शेष भूमि पर आपका कोई हक व अधिकार नहीं होगा ना ही आप किसी प्रकार से अन्य कोई मुआवजा प्राप्ति के अधिकारी होंगे।
- 3- आपको एक माह की अवधि में लीज डीड अपने व्यय पर जारी कराकर पंजीकृत कराना होगा।
- 4- इस हेतु आप निर्धारित राशि के नॉन - ज्यूडिशियल स्टॉम्प सचिव, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर के नाम से प्रस्तुत करें। एकबारीय लीज राशि जमा कराने पर भविष्य में लीज राशि देय नहीं होगी।
- 5- भूखण्ड का प्लान नियमानुसार स्वीकृत कराकर स्वीकृत प्लान अनुसार निर्माण करना अनिवार्य होगा।
- 6- देय राशि क्षेत्रफल के अनुसार घटी - बढी होने पर परिवर्तनीय है।
- 7- पश्चातवर्ती किसी भी अनुक्रम पर यदि यह पाया जाता है कि यह आवंटन/ नियमन प्राप्त करने में इस भूमि के खातेदारों या आवेदकों या अन्य किसी व्यक्ति ने कपटपूर्वक वास्तविक तथ्यों को छिपाया है या तथ्यों का कथन असत्य रूप से करते हुए छलपूर्वक यह आवंटन / नियमन प्राप्त किया है तो उक्त आदेश स्वतः निरस्त होकर भूमि एवं उस पर निर्माण यदि कोई हो उसके साथ स्वतः न्यास में निहित हो जायेंगे और तत्काल ही उस पर अधिभोग रखने वाले व्यक्ति को बिना क्षतिपूर्ति के बेदखल कर दिया जायेगा। इस संबंध में आवंटी या उसकी पश्चातवर्ती केता की कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
- 8- यह आवंटन इन तथ्यों के अधीन है कि आवेदक का जो अभिकथन शपथ पत्र एवं क्षतिपूर्ति बन्ध पत्र एवं आवेदन पत्र में जो कथन अंकित किये गये हैं वे एवं भूमि के स्वामित्व एवं आधिपत्य से संबंधित सारे कथन सही एवं सत्य हैं। इसमें से किसी एक के भी असत्य पाये जाने पर यह आवंटन स्वतः निरस्त हो जायेगा।
- 9- पश्चातवर्ती अनुक्रम में राज्य सरकार के निर्देशों से अंकेक्षण या गणना की त्रुटि सुधार से कोई भी देय राशि ओर निकलती हो तो ऐसी राशि जमा कराने को आवंटी बाध्य होगा।
- 10- उपरोक्त में से किसी एक शर्त या शहरी भूमि निस्तारण नियम, 1974 एवं उस पर समय समय पर किये जाने वाले संशोधन, राज्य सरकार एवं न्यास के निर्देश एवं निर्णयों की पालना करने हेतु आवंटी / केता बाध्य होगा। इसमें से किसी एक के ही उल्लंघन करने पर आवंटन स्वतः निरस्त होकर भूमि एवं उस पर निर्माण सहित भवन बिना क्षतिपूर्ति के न्यास में निहित हो जायेगा।
- 11- जिस प्रयोजन के लिये भूखण्ड नियमित / आवंटित किया गया है, उससे भिन्न प्रयोजन के लिये भूखण्ड का उपयोग नहीं लिया जा सकेगा।
- 12- "योजना में समस्त विकास कार्य योजना / निर्माणकर्ता / आवंटी खातेदार को अपने स्तर पर कराना होगा।



सचिव

नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर

प्रतिलिपि:

- 1- उप नगर नियोजक, न्यास को साईट प्लान की प्रति तैयार करने हेतु।
- 2- गार्ड फाईल।

सचिव

नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर

REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT
OFFICE OF THE SUB REGISTRAR
UDAIPUR-I
(Rule 75 & 131)
FEE RECEIPT

Fee Sr. No. : 2011003653 Dated : 18/0
Presenter Name : MANAK CHAND Face Value : 3207
Presenter Address : GLASS FACTORY, SUNDERWAS, UDAIPUR
Document Type : Lease deed for local bodies (Patta)
Document S.No. : 2011003477 Stamp Value : 100

Ordinary Registration Fee	: 3210	Commission Fee	:
Copy/Scanning/Inspection Fee	: 300	Custody Fee	:
Fee for Memorandum u/s 64-67	: 0	Miscellaneous Fee	:
Certified Copying Fee u/s 57	: 0	Stamp Duty Cash	:
Surcharge on Stamp Duty	: 1604		
Late Fee u/s 25-34	: 0		

TOTAL :

Amount Rs. Twenty One Thousand Fifty Four only

Cashier

Sub Registrar, UDAIPUR

उप पंजीयक
उदयपुर-प्रथम (राज.)



नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर (राज.)

लीज के आधार पर आवासीय प्रयोजनों के लिये भूमि पट्टा विलेख

(राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 'ख' के प्रावधानों के अन्तर्गत पुनः आवंटित भू-खण्डों के उपयोग हेतु)

आवंटन/नियमन/पत्र क्रमांक 1526 दिनांक 10.03.11 के क्रम में यह इकरारनामा जो आज दिनांक 18-03-2011 को राजस्थान के राज्य पाल जिन्हें इसमें एवं इसके पश्चात् सरकार कह कर संबोधित किया गया है और दूसरी ओर मेसर्स धरतीधन प्रा.लि. कम्पनी व्यवसाय व्यापार निवासी बम्बई हाल स्टेशन, उदयपुर (राज.) (जिनको इसके पश्चात् पट्टेदार कहकर संबोधित किया गया है और इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रतिनिधि और मुन्तकिल अलैह भी सम्मिलित होंगे) के बीच लिखा गया है।

इस बात का साक्षी है कि रुपये 119556/- अक्षरे एक लाख उन्नीस हजार पांच सौ छप्पन मात्र की रकम के नियमन शुल्क जो पट्टेदार द्वारा अदा कर दिया गया है (जिसकी रसीद सरकार इसके द्वारा स्वीकार करती है) और इसमें उल्लिखित शर्तों और करारों जो पट्टेदार द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जावेंगे के एवज में सरकार इसके द्वारा पट्टेदार को जमीन का वह तमाम प्लॉट (जो इसके बाद उक्त भू-खण्ड कहकर संबोधित किया गया है) नियमन और पुनः आवंटित करती है जो राजस्व ग्राम सुन्दरवास खसरा नम्बर 302, 303 के योजना प्लान में स्थित है और जो अपनी सीमाओं और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में दिखलाया गया है, और जिसे पूर्व स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों प्रतिबन्धों, वैध शर्तों और करारों के अधीन पट्टेदार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिये अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :

- 1- उक्त भूखण्ड लीज पर आवंटित किया गया है। लीज की अवधि 99 वर्ष होगी।
- 2- 8 वर्ष की अग्रिम लीज राशि एक मुश्त जमा कराने पर उस क्षेत्र की नियमन राशि की चार गुणा राशि पर $2^{1/2}$ प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से देय है। पट्टेदार ने 8 वर्ष की अग्रिम लीज की राशि एक मुश्त जमा करा दी है जिसके फलस्वरूप अब यह भूखण्ड वार्षिक लीज राशि से मुक्त है।
उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल उस पर रहने के आशय से किसी भवन या भवनों के बनवाने में ही होगा। भूखण्ड का व्यवसायिक या लाभ कमाने की दृष्टि से उपयोग किसी भी भांति नहीं किया जा सकेगा। निर्मित भूखण्ड के राज्य सरकार के आदेश दिनांक 10-7-99 क्रमांक प.5(3) दिनांक 3/99 द्वारा नियमों के प्रावधानों में प्रदत्त शिथिलता के तहत नियमन योग्य निर्माण ही नियमित किया गया है तथा नियमन अयोग्य निर्माण के संबंध में संबंधित नियमों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
- 4- पट्टेदार द्वारा अपने भूखण्ड में निर्धारित सेटबैक छोड़ते हुए तथा न्यास के प्रचलित भवन विनियमों के प्रावधानों के अधधीन निर्माण कार्य कराना होगा इसके लिये पट्टेदार द्वारा प्रस्तावित निर्माण हेतु निर्धारित आवेदन पत्र आवश्यक दस्तावेजों के साथ सशुल्क सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर निर्माण स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा। भूखण्ड पर आवंटन/नियमन की तिथि से तीन वर्ष के भीतर निर्माण करना आवश्यक होगा अन्यथा विलम्ब से निर्माण कराने पर निर्धारित दर से विलम्ब शुल्क देय होगा।
- 5- इस लीज डीड के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच. डी. एफ. सी. अथवा नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिये गिरवी रखा जा सकेगा।
- 6- आवंटी द्वारा भूखण्ड विक्रय करने पर केता द्वारा भूखण्ड का नामान्तरण-करण नगर विकास प्रन्यास के नियमों के अनुसार न्यास से करवाना होगा।
- 7- पट्टेदार उक्त भूखण्ड या उस पर बनाये गये भवन या भवनों को या उन दोनों के किसी भाग को किसी ऐसे आशय के लिये जो पिछले पद में निर्देशित आशय के असंगत है बिना सरकार या सरकार के ऐसे अधिकारी की लिखित स्वीकृति के, जो एतदर्थ नियुक्त किया गया हो, न तो उपयोग में लावेगा और न उपयोग में लाने की अनुमति ही देगा।



62
प्राधिकृत अधिकारी
(ओ.एस.डी.)
नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर

DHARTIDHAN PVT. LTD.

Director

उप पंजीयक
उदयपुर-प्रथम (राज.)

8- पट्टेदार द्वारा आवंटन पत्र की शर्तों एवं पट्टे की उपरोक्त शर्तों की पूर्ण पालना की जावेगी । यदि किसी भी शर्त या शर्तों का उल्लंघन किया गया तो उक्त भूखण्ड एवं उस पर बने हुए भवन, यदि कोई हो, सहित उक्त भूखण्ड बिना किसी मुआवजे की राशि के अधिग्रहण कर लिया जावेगा ।

9- इस भूखण्ड के संबंध में राजस्थान शहरी भूमि निष्पादन नियम 1974 के प्रावधान तथा इनमें समय-समय पर किये जाने वाले संशोधन एवं राज्य सरकार व न्यास द्वारा जारी निर्देश लागू होंगे । क्षेत्र का शेष विकास कार्य इस हेतु न्यास को प्राप्त राशि के अधीन होगा ।

नोट: इस भूखण्ड की नियमन राशि 80/- रुपया प्रति वर्गगज की दर से पंजीकृत मूल्य राशि रुपया 119556/- होती है । अतएव स्टॉम्प नं. 9939 स्टॉम्प रुपये 100/- संख्या 1 बहसियत पट्टा इसके साथ लगाये जाते हैं ।

भूखण्ड विवरण	विस्तृत नाप	पडौस
राजस्व ग्राम सुन्दरवास	पूर्व - 150.0''	- Houses in K.No. 304
खसरा नम्बर : 302, 303	पश्चिम - As Per Site Plan	- Abadi Land Of Ms. Dharti dhan Pvt. Ltd. K.No. 297-301, 310, 312 & 315
	उत्तर - 65'.0''	- Houses K.No. 288
भूखण्ड संख्या - 01	दक्षिण - 100'.0''	- Houses K.No. 309

क्षेत्रफल - 13450'.0 व.फी.

इसके साक्षी एवं इसके पक्षकारों ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं ।

सरकार की ओर से :

आज सन् 2011 माह मार्च के 18 वे दिन को

श्री अरुण कुमार हसीजा प्राधिकृत अधिकारी, न्यास, उदयपुर ने निम्न की उपस्थिति में उदयपुर में हस्ताक्षर किये ।

साक्षी:

1. नाम - श्री भैरूलाल भोई
पिता/पति का नाम - देवीलाल जी
व्यवसाय - न्यास सेवा
निवास स्थान - उदयपुर

2. नाम - श्री हेमन्त सोनी
पिता/पति का नाम - स्व. देवीलाल जी
व्यवसाय - पटवारी, न्यास
निवास स्थान - उदयपुर

प्राधिकृत अधिकारी
सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर
(अ.स.न.डी.)
नगर विकास न्यास, उदयपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

पट्टेदार की ओर से :

आज सन् 2011 माह के वे दिन को की उपस्थिति में उक्त मै. धरतीधन प्रा.लि. कम्पनी जरिये डायरेक्टर श्री माणकचन्द जैन पट्टेदार द्वारा कार्यालय, नगर विकास न्यास, उदयपुर में हस्ताक्षर किये गये ।

साक्षी:

1. नाम - श्री भुनेश शाह
पिता का नाम - स्व. रसीकलाल जी
व्यवसाय - व्यापार
निवास स्थान - 14, शिवाजी नगर, सर्वरतु विलास, उदयपुर

2. नाम - श्री विरेन्द्र कुमार जैन
पिता का नाम - स्व. श्री हीरालाल जी
व्यवसाय - व्यापार
निवास स्थान - 908, हि.मं. से.नं. 4, उदयपुर

DHARTIDHAN PVT LTD.

पट्टेदार के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर

साक्षी के हस्ताक्षर



भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES



सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

आधिकारी

राजस्थान

15 FEB 2011

M 617109

उदयपुर (राज.)

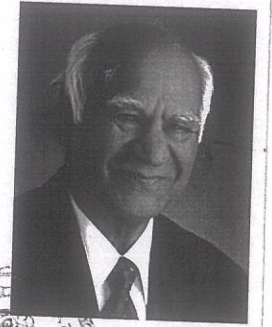
राजस्थान RAJASTHAN

राजस्व ग्राम... सुन्दरवास... खसरा नं०... 302,
 303... भूखण्ड संख्या... 01...
 क्षेत्रफल... 13450-0... वर्ग फीट के साथ
 संलग्न है।

32

प्राधिकृत अधिकारी
 (ओ.एस.डी.)

नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर



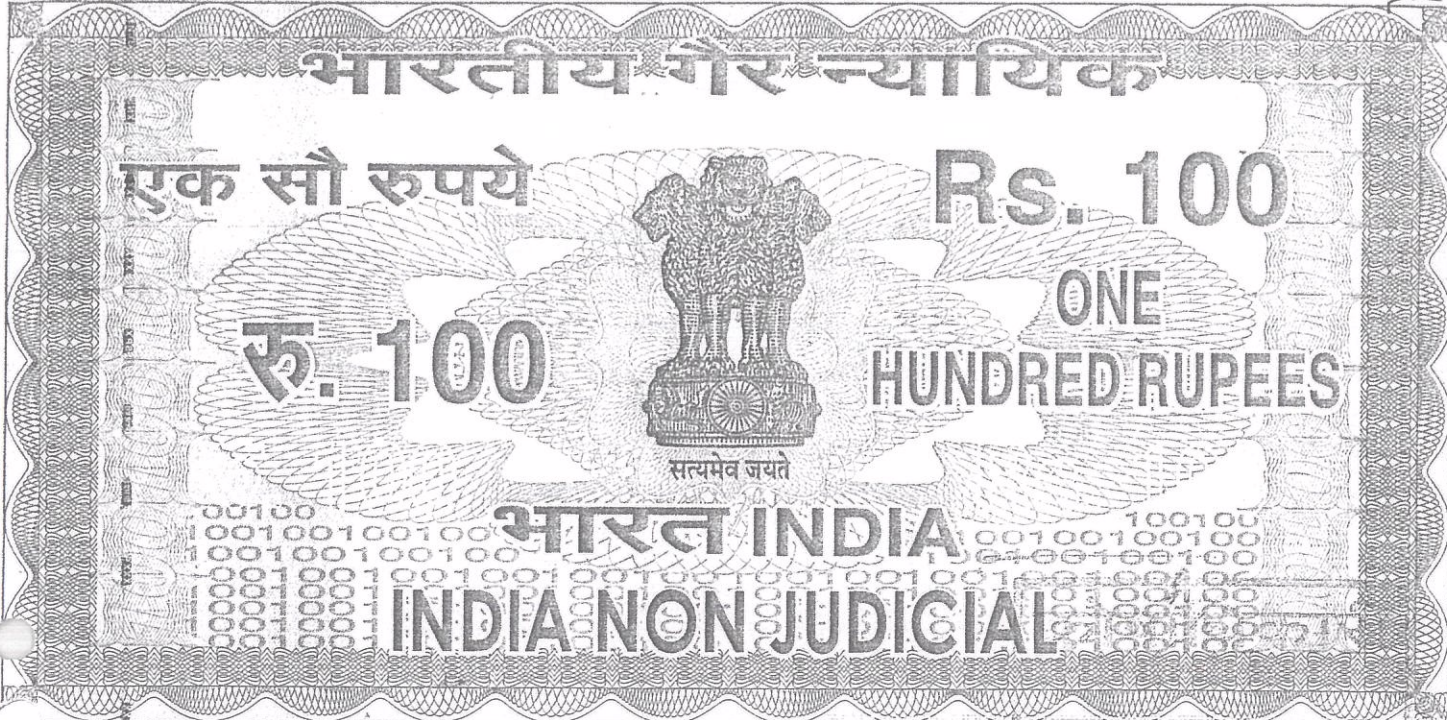
8922 C-1



DHARAMBHAN PVT LTD.

Director

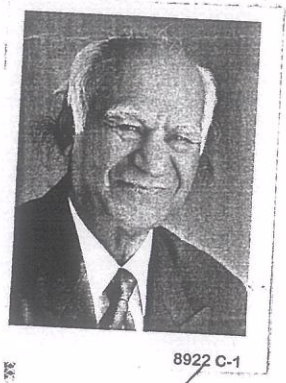
उप पंजीयक
 उदयपुर-प्रथम (राज.)



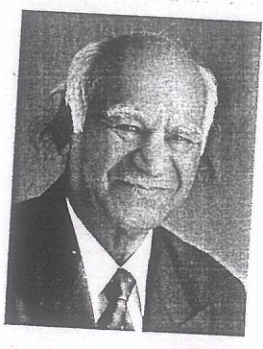
राजस्थान RAJASTHAN

UJT

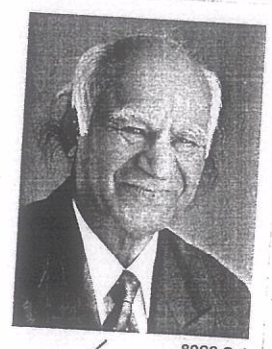
15 FEB 2011
M 617104
राजस्थान (राज.)



8922 C-1



8922 C-1



8922 C-1

DHARTIDHAN PVT. LTD.

M. K. Mehta
Director 15/3/2011

DHARTIDHAN PVT. LTD.

M. K. Mehta
Director 15/3/2011

DHARTIDHAN PVT. LTD.

M. K. Mehta
Director 15/3/2011

133



House No
Kono 228

ADARSH LAND
OF MR. BHAKTI
PRAN SINGH
Kono 297 to 301, 310
311 to 319



As shown above

is correct

the plan of plot no

302303

ADARSH LAND

OF MR. BHAKTI

PRAN SINGH

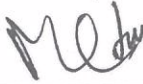
उप पंजीयक
हदयपुर-प्रथम राज

32

प्राधिकृत अधिकारी
(हदयपुर-प्रथम राज)

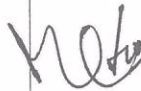
हदयपुर-प्रथम राज

आज दिनांक 18 माह March सन् 2011 को 11:34 बजे
 श्री/श्रीमती/सुश्री MANAK CHAND पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री SAMRATH SINGH JI
 उम्र 74 वर्ष, जाति JAIN व्यवसाय SERVICE
 निवासी GLASS FACTORY, SUNDERWAS, UDAIPUR
 ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।


 हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता हस्ताक्षर उप पंजीयक, UDAIPUR-I
 (2011003477)
 (Lease deed for local bodies (Patta))

हस्ताक्षर फोटो अंगूठा

उक्त श्री/श्रीमती/सुश्री (Executant)
 1-DHARTIDHAN PVT LTD./MANAK CHAND /SAMRATH
 SINGH JI
 Age:74, Caste-JAIN
 Ocu.-SERVICE
 R/O-GLASS
 FACTORY, SUNDERWAS, UDAIPUR/SECRETARY UIT.





ने लेख्यपत्र Lease deed for local bodies (Patta)
 को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया।
 प्रतिफल राशी रू0 320739/- पूर्व में/मेरे
 समक्ष/मे से रू0 320739/-पूर्व में _____
 यमेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान
 1. श्री/श्रीमती/सुश्री BHUNESH SHAH
 पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री RASIK LAL JI उम्र 47 वर्ष
 जाति VAISHNAV व्यवसाय BUSINESS
 निवासी 14-SHIVAJI NAGAR, SARVARITU VILAS, UDAIPUR





2. श्री/श्रीमती/सुश्री VIRENDRA KUMAR
 पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री HEERA LAL JI उम्र 56 वर्ष
 जाति JAIN व्यवसाय BUSINESS
 निवासी 908-SEC 4, UDAIPUR ने की है जिनके



समस्त हस्ताक्षर एवं अंगूठा के निशान मेरे समक्ष लिये गये हैं।



(2011003477) उप पंजीयक, UDAIPUR-I
 (Lease deed for local bodies (Patta))



रसीद नं० 2011003653 दिनांक 18/03/2011

पंजीयन शुल्क रू० 3210/-

प्रतिलिपि शुल्क रू० 300/-

पृष्ठांकन शुल्क रू० 0/-

अन्य शुल्क रू० 1604/-

कमी स्टाम्प शुल्क रू० 15940/-

कुल योग रू० 21054/-

(2011003477) उप पंजीयक, UDAIPUR-I
(Lease deed for local bodies (Patta))

धारा 54 के तहत प्रमाण-पत्र
प्रमाणित किया जाता है कि इस विक्रय पत्र
की मालियत रूपये 320739
मानते हुए इस पर देय क्रमी मुद्रांक
राशि 15940 पर कमी पंजीयन शुल्क
रूपये 3210 कुल रूपये 21054
जरिये रसीद संख्या 2011003653 दिनांक 18/03/2011
में जमा किये गये हैं।
अतः दस्तावेज को रूपये 16040
के मुद्रांकों पर निष्पादित माना जाता है।

(2011003477) उप पंजीयक, UDAIPUR-I
(Lease deed for local bodies (Patta))

आज दिनांक 18/03/2011 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1211
में पृष्ठ संख्या 17 क्रम संख्या 2011002098 पर
पंजीबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 2687
के पृष्ठ संख्या 147 से 153 पर
चर्चा किया गया।



(2011003477) उप पंजीयक, UDAIPUR-I
(Lease deed for local bodies (Patta))

**जमाबन्दी
(प्रतिलिपि)**

**प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)**

ग्राम का नाम :- सुन्दरवास
पटवार हल्का :- मादडीपुरोहितान
भू.अभि.नि. :- शहर
तहसील :- गिर्वा
जिला :- उदयपुर

अंतिम चौसला आधार संवत :- 2074-2077 जमाबंदी 2074 (वर्ष 2018) से स्थायी
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 141
खाता संख्या पुराना :- 77

काश्तकार का नाम:-

1. उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर हिस्सा- पूर्ण संस्था के लिए,

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
298	0.0600	आवासीय	0.0600	0.00		
299	0.0500	आवासीय	0.0500	0.00		
300	0.0900	आवासीय	0.0900	0.00		
301	0.0250	आवासीय	0.0250	0.00		

कुल खसरे - 4 0.2250 0.2250 0.0000

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्षी के रूप में नहीं किया जा सकता है।

नकल जारी करने की तिथि :- 31-Jul-2025



नामांतरकरण प्रपत्र (प-21)		जिला: उदयपुर
ग्राम : सुन्दरवास	पटवार मण्डल : मादडीपुरोहितान	तहसील: गिर्वा
भू.अ.नि.वृत्त: शहर		संवत तथा ढाल बांछ की क्रम संख्या: 2074-2077
नामांतरकरण का प्रकार : समर्पण	प्रविष्टि का क्रम संख्या एवं दिनांक : 870 18/06/2025	नामांतरकरण शुल्क : 20 शास्ति : 0
रजिस्ट्रीकरण/बंधक संख्या एवं दिनांक :		

सही किये जाने के लिए प्रतिस्थापित वर्तमान जमाबंदी (खतौनी) में की प्रविष्टि						जमाबंदी में प्रतिस्थापित किये जाने के लिए प्रस्तावित नयी प्रविष्टि					
खाता संख्या	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	मृदा वर्गीकरण	राजस्व लगान	विशिष्टियों सहित काश्तकार का नाम	खाता संख्या	विशिष्टियों सहित काश्तकार का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	मृदा वर्गीकरण	राजस्व लगान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	298	0.0300	भूरी	0.42	1.) मे.धरती धन प्रा.लि.कं. बम्बई हाल स्टेशन	141	1.) उदयपुर विकास प्राधिकरण	298	0.0600	आवासीय	0.00
	299	0.0500	भूरी	0.35	उदयपुर आबादी उद्योग सोप स्टोन फेक्ट्री हेतु		उदयपुर	299	0.0500	आवासीय	0.00
	300	0.0700	भूरी	0.49	हिस्सा- पूर्ण		हिस्सा- पूर्ण	300	0.0900	आवासीय	0.00
		0.0200	भु.का.बी	0.02	संस्था के लिए		संस्था के लिए	301	0.0250	आवासीय	0.00
	301	0.0250	खड्डा	0.00							
खाता : 77		कुल खसरे : 4		कुल क्षेत्रफल : 0.2250		खाता : 141		कुल खसरे : 4		कुल क्षेत्रफल: 0.2250	
कुल काश्तकार : 1											

खातों का विवरण:-

खाता : 77	कुल खसरे : 4	कुल क्षेत्रफल : 0.2250	कुल काश्तकार : 1	खाता : 141	कुल काश्तकार : 1	कुल खसरे : 4	कुल क्षेत्रफल : 0.2250
-----------	--------------	------------------------	------------------	------------	------------------	--------------	------------------------

पटवारी की रिपोर्ट :
मुताबिक आदेश नामांतरण दर्ज कर उचित आदेशार्थ पेश है

पटवारी का नाम PANKAJ JOSHI
दिनांक 18-06-2025 20:31:18

ग्राम पंचायत/ राजस्व अधिकारी की जांच रिपोर्ट :
पटावरी जांच रिपोर्ट अनुसार स्वीकृत

ग्राम पंचायत/ राजस्व अधिकारी का नाम PUSHPENDRA
दिनांक 6/19/2025 1:05:04 PM





जमाबन्दी (प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

ग्राम का नाम :- सुन्दरवास
पटवार हल्का :- मादडीपुरोहितान
भू.अभि.नि. :- शहर
तहसील :- गिर्वा
जिला :- उदयपुर

अंतिम चौसला आधार संवत :- 2074-2077 जमाबंदी 2074 (वर्ष 2018) से स्थायी
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 115
खाता संख्या पुराना :- 116

काश्तकार का नाम:-

1. नगर विकास प्रन्यास उदयपुर हिस्सा- पूर्ण संस्था के लिए,

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
224	0.0900	आबादी	0.0900			
302	0.0950	आबादी	0.0950			
303	0.0300	आबादी	0.0300			
456	0.0300	आबादी	0.0300			
458	0.0700	आबादी	0.0700			
459	0.0500	आबादी	0.0500			
506/454	0.0600	आबादी	0.0600			
कुल खसरे - 7	0.4250		0.4250			

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्षी के रूप में नहीं किया जा सकता है।

नकल जारी करने की तिथि :- 7-Oct-2025

